जिला वेबसाईट

अनुसूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
05.03.2013	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अरवल ।** सीमांकन अपील वाद सं0–34/ए0सी0/2011 बीबी सकिना खातुन बनाम अहमद हुसैन एवं अन्य **आदेश** भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल के न्यायालय में संचलित सीमांकन वाद सं0–53/2002 बीबी सकिना खातुन बनाम अहमद हुसैन एवं अन्य से संबंधित मामला में दिनांक–05.07.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील कर्त्ता बीबी सकिना खातुन पति–मो0 सलाउद्दीन, साकिन–अरवल सिपाह, थाना+जिला–अरवल के द्वारा सीमांकन अपील पत्र विद्वान जिला दंडाधिकारी, अरवल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो दिनांक–28.07. 2011 को न्यायालय पत्र संख्या–24/विधि द्वारा विचारण हेतु इस न्यायालय में अंतरित हुआ। प्रासांगिक सीमांकन अपील वाद के उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख स्थित कागजातों का अवलोकन किया। प्रस्तुत सीमांकन अपील वाद के अपीलकर्त्ता एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं ने बताया कि ग्राम–मखदुमपुर कबीर थाना–अरवल जिला–अरवल स्थित प्रश्नगत भूमि खतियानी है और इस भूमि पर हक और हिस्सा को लेकर विवाद चल रहा है। पूर्व में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल द्वारा प्रासंगिक सीमांकन वाद में दिनांक–26.09.2002 को पारित आदेश जो प्रश्नगत भूमि का मापी कराने हेतु दिये गये आदेश एवं प्रतिवादी द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्त्ता, अरवल के न्यायालय में सीमांकन अपील वाद संख्या–01/डी0एम0/2003–04 दायर किया गया था। जिसमें दिनांक–01.12.2003/10.12.2003 को विचोरोपरांत समाहर्त्ता न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी अहमद हुसैन एवं अन्य को न्यायालय में बराबर अनुपस्थित रहने एवं उनके द्वारा दावे में जो कागजात प्रस्तुत की गई थी उसमें कोई मेरिट नही पाते हुए अपील पत्र को अस्वीकृत किया गया था। तदोपरांत आयुक्त न्यायालय, मगह प्रमंडल गया के न्यायालय में वाद संख्या 01/2004 अहमद हुसैन बनाम बीबी सकिना खातुन से संबंधित वाद लाया गया, जिसमें दिनांक–11.05.2006 को पारित आदेश से अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया। इस तरह प्रक्रिया उत्पन्न होने पर भूमि सूधार उप समाहर्ता अरवल ने अपने आदेश दिनांक–26.09.2012 के अनुपालन हेतु वाद की कार्यवाही चलता रहा और वादी एवं प्रतिवादी	

के द्वारा मापी के विषय पर गतिरोध बना रहा। अंततः निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण कर दिनांक–05.07.2007 को आदेश पारित किया गया कि वर्त्तमान में यह मामला किसी भी अर्थ में सीमांकन का नही बनता है और इस आधार पर वाद की कार्यवाही को समाप्त की गई है।

उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट करते हुए प्रश्नगत भूमि का निराकरण के विषय पर बताया गया कि यह भूमि हक और हिस्सा की है। जिसका निराकरण बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 के तहत किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों के विवेचन से मैं यह निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत भूमि खतियानी है और इस वाद के वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा हक और हिस्सा के लिए सीमांकन वाद लाया है, जिसका निराकरण बिहार बंगाल सर्वे एक्ट के तहत नही हो सकता है। इसलिए वर्त्तमान सीमांकन अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है और इस आदेश के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल को निम्न न्यायालय वाद अभिलेख लौटाते हुए निर्देश दिया जाता है कि प्रश्नगत विवादित भूमि के निराकरण उक्त नियमावली के अधीन निष्पादित करना सुनिश्चित करेगें।

लेखापीत एवं संसोधित

05/03/13
अपर समाहर्त्ता,
अरवल।

05/03/13
अपर समाहर्ता
अरवल।